भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)

सत्यमेव जयते

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं0 8बी/यू.पी./07/03/2019/एफ.सी / 625 दिनॉकः 13.02.2019

सेवा में,

विशेष सचिव (वन),
उत्तर प्रदेश शासन,
बापू भवन, लखनऊ।

<u>(आनॅलाईन प्रस्ताव संख्या–**FP/UP/Rail/29433/2017**)</u>

विषयः जनपद वाराणसी में इलाहाबाद–वाराणसी रेलवे ट्रैक का दोहरीकरण हेतु प्रभावित 14.691 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 53 वृक्षों एवं 48 पौधे कुल 101 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश का पत्रांक–227/14-2-2019-800(187)/2018, लखनऊ, दिनांक–01.02.2019.

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक–3975/14–2–2018–800(187)/2018, लखनऊ, दिनांक–10.01.2019 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मॉगी थी।

विषयांकित प्रकरण पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार जनपद वाराणसी में इलाहाबाद–वाराणसी रेलवे ट्रैक का दोहरीकरण हेतु प्रभावित 14.691 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 53 वृक्षों एवं 48 पौधे कुल 101 वृक्षों/पौधों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:–

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन भूमि के दुगुने अवनत वन भूमि (14.691 x 2 = 29.382 ha.) अर्थात् 29.382 हे0 पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।

2. (क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी।

   (ख) इसके उपरान्त ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई–रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धांन्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जमा धनराशि एवं एन0पी0वी0 की धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।

   (ग) प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन.पी.वी. की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।

3. विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (forward)एवं पीछे (backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखनी होगी।

4. उत्सर्जित मलवे को वन क्षेत्र से बाहर ठीक सुरक्षित स्थान पर निस्तारित किया जाएगा। यह कार्य प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा।

5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित योजना में अपरिहार्य परिस्थिति में एवं न्यूनतम संख्या में वृक्षों का पातन वन विभाग की देख रेख में किया जाएगा।

6. रेलवे लाईन के किनारे रिक्त पड़े उपयुक्त स्थलों पर परियोजना व्यय पर वृक्षारोपण कराया जाएगा।

7. Letter of authorization of Railways in favour of RVNL & undertaking to the effect that the proposal of doubling of Railway track for the rest of length requiring forest clearance will be submitted within one month shall be furnished.

8. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।

9. सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना प्रेषित करते हुए संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के विषय में सूचना/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी।

भवदीय,

(के0के0 तिवारी)
वन संरक्षक {केन्द्रीय}

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. अतिरिक्त वनमहानिदेशक एफ.सी., पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली–110003.
2. निदेशक (आर0ओ0एच0क्यू0) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली–110003.
3. मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (वन संरक्षण), वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0 प्र0।
4. जिलाधिकारी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी, उत्तर प्रदेश।
6. परियोजना निदेशक, बीएसबी, इलाहाबाद डबलिंग प्रोजेक्ट रेलवे विकास निगम लि0, वाराणसी, उत्तर प्रदेश।
7. तकनीकी अधिकारी, पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
8. आदेश पत्रावली।

13.02.19

(के0के0 तिवारी)
वन संरक्षक {केन्द्रीय}